

आर टी आई मामला

सं. 14036/608/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 14-10-2013

सेवा में,

श्री इन्दरजीत पुत्र श्री प्रेमचन्द
कैदी वार्ड सं. 7, सैल सं. 4
तिहाड़ जेल सं. 3
नई दिल्ली-110064

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक रहित आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (न्यायिक अनुभाग से अंतरित होकर इस अनुभाग में 9.10.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि इस लोक प्राधिकारी के पास आपके आर टी आई आवेदन के संबंध में साझा करने के लिए कुछ नहीं है। तथापि, मामला दिल्ली पुलिस से संबंधित है, इसलिए, आर टी आई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत, आपका आवेदन सीधे आपको अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए उन्हें अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीय,

अरुण कुमार मंडल 14/10/2013
(अरुण कुमार मंडल)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
एवं अवर सचिव (डी पी-11)

इकबाल सिंह चहल
25/10

प्रति प्रेषित:

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पी एच क्यू, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को प्रदान की जाए।

संलग्नक: यथोपरि